जप पत्र 212 R.T.A.

बनाम

हमेश्वरा — मालान वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/09/2016	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह जप पत्र 212 R.T.A. वकील प्रार्थी ने पेश किया। जप पत्र के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र व वकील मुकदमा की फीस के मोटे प्रतिवेदन की नकल अनावेदकगण को पावक कराने का पेश किया। वकील प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जपपत्र के तथ्य व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति की के पक्ष में बना प्रतीत होता है अतः अनावेदकगण को अंतरिम आदेश से बेदखली जब्ती पेश होने तक पावक किया जाता है कि वो आ0प्र0सं0 164 के तहत सोजत-पाड़ा तह0 कठूमर के बयान व मौका की वस्तुस्थिति बनाए रखें। अनावेदकगण को नोटिस हो। इस आदेश की पालना में कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त होने दिनांक 26/10/16 को पेश न किये जाने पर उक्त आदेश को दण्ड के रूप में तत्काल दिनांक वाले उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तक होकर दिनांक 26/10/16 को पेश हो। S/D/C उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 8/11/17 ..... ; तामिली आदेश दिनांक 21/9/16 की पालना में पत्रावली करते तुलसी दिनांक 31/10/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 12/11/17 ..... तामिली आदेश दिनांक 21/9/16 की पालना में पत्रावली करते ..... दिनांक 31/10/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 3/5/17 प्रशासन राज्य सरकार के आदेशानुसार ..... लोक अदालत/राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी जाने की पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने पुनर्नियत की जावे। पा दिनांक 26/5/17 26/5/17 पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने हेतु पेश हुई। उपस्थित : सहमत पक्षकारान ..... को तामिली आदेश दिनांक 31/7/17

37
13-

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.12.2022	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित N.L A कैलेन्डर में रखा जाना पाया गया है। अतः पक्षकार/वादी लोक अदालत में उपस्थित/मुआवजा ..... पर दिनांक 12/12/22 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12/12/22	आज N.L. केस बोर्ड में पेश हुई। पक्षकारान् ..... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अब पत्रावली दिनांक 14/12/22 को न्यायालय हाजिर में पेश हो	
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
14/12/22	..... वकील पार्टी ..... उपस्थित ..... के अनुरोध पर पत्रावली दिनांक ..... को पेश हो	
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
5/4/22	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पक्षीय प्रार्थी उपस्थित नहीं। पक्षीय व उसके प्रार्थी की ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना-पत्र 42 RTA पक्षीय प्रार्थी की उपस्थित तारीख - अग्रिम घजदी में खारिज किया जाता है। पत्रावली - लैक्षल मुलाए होकर वापस ले जाए हो। वाद व वकील को मूल वाद के साथ सूचित हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	